

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.2(8)नविवि/11/1996

जयपुर, दिनांक:- 2 DEC 2019

आज्ञा

राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 के नियम 24 (2) के प्रावधानानुसार गठित विभागीय पदोन्नति चयन समिति की दिनांक 14.10.2019 को आयोजित बैठक की अभिशंषा के अनुसार नगर नियोजन सेवा के सहायक अभियन्ता के वर्ष 2019-20 के रिक्त पदों के विरुद्ध निम्नांकित कनिष्ठ अभियन्ताओं को, वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर, पे मैट्रिक्स लेवल संख्या-14 में एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

| क्र.सं. | पदोन्नत राजसेवक का नाम      | चयन वर्ष | रिक्ति तिथि | विशेष विवरण   |
|---------|-----------------------------|----------|-------------|---|
| 1.      | श्री पुष्पेन्द्र सिंह खिंची | 2019-20  | 01.09.2019  | -   |
| 2.      | श्री पुरुषोत्तम लाल         | 2019-20  | 01.02.2020  | पदोन्नति; रिक्ति दिनांक 01.02.2020 से प्रभावी होगी। |

उपरोक्त कार्मिकों के पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान के स्तर से प्रसारित किये जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(त्रिभुवनपति)

शासन संयुक्त सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।



शासन संयुक्त सचिव-द्वितीय